न्यायालय राजस्वअपीलप्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपीलसंख्याः 52/2021
जीसीएमएस संख्याः 2021/207

निर्णय दिनांक 11.03.25

1. कामाख्यालाल पुत्र जयनारायण जाति महाजन चाण्डक निवासी महावीर चौक नोखा हाल निवासी ए टी रोड एन एच 37 टियोक जोराहट असम।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. चुन्की देवी पत्नी पीथाराम जाति सुथार निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. जसोदा देवी पत्नी मुकेश सुथार जाति सुथार निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. सुरेश कुमार पुत्र जयनारायण जाति महाजन चाण्डक निवासी महावीर चौक नोखा हाल निवासी ए टी रोड एन एच 37 टियोक जोराहट असम।
4. गोमती देवी पत्नी भंवरीलाल जाति महाजन चाण्डक निवासी महावीर चौक नोखा हाल निवासी ए टी रोड एन एच 37 टियोक जोराहट असम।
5. बिकाश कुमार पुत्र भंवरीलाल जाति महाजन चाण्डक निवासी महावीर चौक नोखा हाल निवासी ए टी रोड एन एच 37 टियोक जोराहट असम।
6. रचना देवी पुत्री भंवरीलाल पत्नी माखनलाल गटाणी निवासी शिवशक्ति एन्टरप्राइजेज चेंबर रोड जोराहट इस्ट, आसाम।
7. तारादेवी पुत्री भंवरीलाल पत्नी सुनील मोहता निवासी 11, हरदतराय चमडिया रोड हावडा (एम कोरपोरेशन) हावडा वेस्ट बंगाल।
8. राजश्री देवी पुत्री भंवरीलाल पत्नी बनवारीलाल मोहता निवासी 24/25 मोलाना अब्दुल कलाम आजाद रोड (एम कोरपोरेशन) हावडा वेस्ट बंगाल।
9. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोखा।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, नोखा
दिनांक 11—06—2015

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री सीताराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2
3. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 11–06–2015 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से एकतरफा तौर पर नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के पति तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ता 8 के पिता की संयुक्त खतेदारी भूमि वाके रोही गोविन्दनगर के खसरा नम्बर 1058 तादादी 8.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1620/672 तादादी 3.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 690 तादादी 6.95 हैक्टेयर कुल तादादी 18.80 हैक्टेयर भूमि स्थित रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने खेत खसरा नम्बर 1057 में आवागमन के लिए अपीलांट के खसरा नम्बर 1058 व 690 में से रास्ते का लम्बे समय से उपयोग करने तथा अपीलांट द्वारा रास्ता बन्द करने का तथ्य अंकित करते हुए धारा 251 ए के तहत रास्ता कायम करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने निकटतम रास्ता मंजूर नहीं करते हुए जान बूझकर अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया है जो विधिसम्मत नहीं है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 ए के तहत वो ही खातेदार रास्ते की मांग कर सकता है जिसके खेत में जाने के लिए कोई रास्ता पूर्व में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपलब्ध नहीं है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है वह अपीलार्थी के खेत में से आता–जाता है। जहॉ तक रास्ते के प्रकरण का प्रश्न है अदालत मातहत को चाहिए था कि वे वादगत् भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट तहसीलदार या भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा तैयार की जानी होती है। इस संबंध में विधायिका द्वारा नियम 69 प्रतिस्थापित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मंगवाई है, जोकि स्पष्ट रूप से नियम 69 की अवहेलना की श्रेणी में आता है। जबकि रास्ते के प्रकरणों में नियम 69 की पालना किया जाना आज्ञापक प्रावधान है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए अपीलांट् के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है।

आगे उन्होने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश लोक अदालत में पारित किया गया है एवं लोक अदालत में केवल वो वाद अथवा प्रार्थना पत्र सुने जाते है जिसमें उभय पक्षों की सहमति प्रदान की गई हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली ग्राम पंचायत अगुणी में रख ली गई तथा उसके पश्चात पत्रावली सीधे ग्राम पंचायत गजसुखदेसर रखी गई जहां अप्रार्थीगण को आवाजें लगवाई गई एवं अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने पर पत्रावली पर एकतरफा आदेश पारित किये जाने का आदेश प्रसारित किया गया। चूंकि वादगत भूमि ग्राम पंचायत रोडा की है जिसे ग्राम पंचायत कुचौर अगुणी अथवा ग्राम पंचायत गजसुखदेसर रखा जाकर लोक अदालत में सुना जाना अपीलांट के हितों पर सीधे तौर पर कठुराघात है।

मियांद पर अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया है जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी/अपीलांट की सम्यक तामील करवाये बिना ही एकतरफा आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 8 आसाम रहते है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इनके नोटिस का पत्ता महावीर चौक नोखा अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस अप्रार्थीगण को भेजे गये है उसमें कहीं भी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

चस्पानगी का आदेश पारित नही किया गया है मगर अप्रार्थीगण के नोटिस चस्पानगी करते हुए एकतरफा आदेश के आदेश पारित कर दिये गये। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी से अन्दर मियांद प्रस्तुत की है तथा उक्त आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे (23) 2016 पेज 539, आरएलडब्ल्यू 2017 (1) पेज 326, आरएलडब्ल्यू 2017 (1) पेज 512, आरएलडब्ल्यू 2012 (2) पेज 995, आरएलडब्ल्यू 2012 (1) आरजे पेज 24, आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 397, आरएलडब्ल्यू 2007 (1) आरजे पेज 607 तथा आरएलडब्ल्यू 2010 (1) आरजे पेज 174 आदि के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु पूर्व से कोई स्वीकृत रास्ता नहीं होने की दशा में रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट् की जोत में से आवागमन हेतु रास्ते की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। जिस पर अप्रार्थीगण के नोटिस इन्कारी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर दिनांक 30—04—2014 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पैरोकार राज ने उपस्थित आते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य बतलाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 ए के प्रावधानों के तहत ही निर्णय पारित किया गया है एवं निकटतम रास्ता ही स्वीकृत किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का अपीलाधीन आदेश लोक अदालत में पारित किया गया है एवं लोक अदालत में पारित किये गये निर्णय के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं होने से अपीलांट की अपील इसी स्तर पर खारिज योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मियांद पर अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्पष्ट तौर पर मियांद बाहर है एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जो विलम्ब के कारण दिये गये है वो संतोषजनक नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में मौके पर स्वयं का काश्तकार होना अंकित किया गया है अतः अपीलांट मियांद अधिनियम के तहत छूट पाने के अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद एवं गुणावगुण पर खारिज की जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2016—17 सप पेज 714 व आरआरडी 2020 पेज 157 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा खेत खसरा नम्बर 690 तथा खसरा नम्बर 1058 में से गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में जहां तक मियांद का प्रश्न है, अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11—06—2015 के विरूद्ध अपील दिनांक 07—09—2021 को प्रस्तुत की है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ में धारा 5 मियादं अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी से अपील अंदर मियांद प्रस्तुत किया जाना अंकित किया है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट का कथन है कि अपीलांट ने जान बूझकर अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है एवं विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में भी यह स्पष्ट किया गया है कि प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं की जगह गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। विधि की भी यही मंशा है कि केवल मात्र तकनीकी बिन्दु अथवा पक्षकार की अज्ञानता में कोई न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नये रास्तों के लिए हो) पहुँचने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है, तब इस प्रकार रास्तों के मामलों में धारा 251 (ए) के अनुसार उपखण्ड अधिकारी द्वारा **संक्षिप्त जॉच, आत्यांतिक आवश्यकता एवं सुविधा को** जाना महत्वपूर्ण है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया है कि रेस्पोडेन्ट को अपनी जोत में आवागमन हेतु पूर्व से ही कोई रास्ता उपलब्ध है अथवा नहीं? रास्ते के मामलों में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि कोई भी काश्तकार अपनी सुविधा के लिये रास्ते की मांग नहीं कर सकता नाही रास्ते के मामलों में दूरी के प्रश्न को देखा जाना होता है। हम अभिभाषक अपीलांट् के इस तर्क से सहमत है कि रास्ते के आवेदन में दूर या नजदीक का प्रश्न नहीं है, वरन् यह देखा जाना चाहिए कि क्या वह युक्तियुक्त, तार्किक, आत्यांतिक आवश्यकता व सुखाचार की शर्तो को पूरा करते है या नहीं? प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व उपरोक्त तथ्यों की अनदेखी किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने से अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा का आदेश दिनांक 11–06–2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी नोखा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारों की उपस्थिति में नियम 69 के प्रावधानों के अनुरूप मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे। उभय पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 04–04–2025 को उपस्थित हो।

8. निर्णय आज दिनांक 11.03.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर